न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 188/2019

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. करीम पुत्र चिमनाजी जाति–मेहरात निवासी–भीमगढ, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 एल.आर एक्ट

तारीख रजूः.11/09/2019

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 20/01/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 एल.आर एक्ट. के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा–भीमगढ पटवार हल्का–रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. में खसरा संख्या 2242/6 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 2245 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2246 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 2247 रकबा 19–17 बीघा, खसरा नंबर 2248 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2249 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 2251 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2252 रकबा 06 बीघा, खसरा नंबर 2253 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त सम्पति वादी के पिता चिमना के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तकरण में वादी के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी का नाम नसीबा पुत्र चिमना के नाम से नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम करीम पुत्र चिमना है जो वीद के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशनकार्ड, पहचान कार्ड, ग्राम पंचायत रास द्वारा जारी पट्‌टा आदि में भी वादी का नाम करीम पुत्र चिमना तथा ग्राम पंचायत रास द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.2019 में दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तकरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 02.07.2019 को होने पर

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रॉंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके संबंध में वादी की पैतृक पुश्तैनी सम्पति में उक्त रॉंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में वादी अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम करीम पुत्र चिमना से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र रेकर्ड दुरुस्ती बाबत् श्रीमान के समक्ष पेश है। वादी को यह दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है जिसपर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होंने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारों के विरुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है। इसलिए सहखातेदारों काश्तकार को प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया हे। बिनाय वाद दिनांक 02.07.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रॉंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम भीमगढ पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील–जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। जवाबदावे में जाहिर किया कि पटवारी हल्का रास द्वितीय की जांच रिपोर्ट के अनुसार वादी करीम पुत्र चिमना को गांव में दो नामों से पुकारा जाता है वादी के सभी पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम करीम पुत्र चिमना दर्ज है। नसीबा पुत्र चिमना, करीम पुत्र चिमना एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का नाम नसीबा पुत्र चिमना के बजाय करीम पुत्र चिमना किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी एवं जवाब वादपत्र तहसीलदार, जैतारण का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सरहद मौजा–भीमगढ पटवार हल्का–रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. में खसरा संख्या 2242/6 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 2245 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2246 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 2247 रकबा 19–17 बीघा, खसरा नंबर 2248 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2249 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 2251 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2252 रकबा 06 बीघा, खसरा नंबर 2253 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नसीबा पुत्र चिमना बतौर खातेदार है। वादी का कथन है उक्त खसरान में पिता चिमना के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तकरण में वादी के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाष में लिये जाने वाले नाम नसीबा पुत्र चिमना के नाम से नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया और वास्तविक नाम करीम पुत्र चिमना है। तहसीलदार, जैतारण ने भी अपनें जवाब वाद-पत्र में उक्त अनुतोष प्रदान करनें की सहमति प्रदान की है। यह भी सही है कि पश्चिमी राजस्थान में लाड-प्यार से आधे-अधुरे नाम से पुकारना एक परम्परा रही है तथा अधिकांश लोगों के ऐसे ही आम प्रचलित नाम हुबहू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होते रहे हैं क्योंकि वास्तविक एवं पूर्ण नाम से संबंधित कोई दस्तावेजात ही नहीं होते है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे आधे-अधूरे एवं असम्मानजनक नामों को सम्मानजनक नामों से प्रतिस्थापित किए जानें के निर्देश रहे हैं। वादी के शपथ-पत्र, आधारकार्ड, पहचान-पत्र, राशनकार्ड एवं तहसीलदार, जैतारण के जवाब वादपत्र से यह स्पष्ट है कि वस्तुतः नसीबा एवं करीम एक ही व्यक्ति है जो कि चिमना का पुत्र है, अतः हम वाद-पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वादी के पक्ष में बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा- भीमगढ, पटवार हल्का-रास- द्वितीय, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज. में खसरा संख्या 2242/6 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 2245 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2246 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 2247 रकबा 19-17 बीघा, खसरा नंबर 2248 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2249 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 2251 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2252 रकबा 06 बीघा, खसरा नंबर 2253 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज गलत प्रविष्टि **"नसीबा पुत्र चिमना"** के स्थान पर सही प्रविष्टि **"करीम पुत्र चिमना"** दुरस्त किए जानें की घोषणा की जाती है। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 20/01/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. करीम पुत्र चिमनाजी जाति–मेहरात निवासी–भीमगढ, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 19/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वादी के पक्ष में बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा– भीमगढ, पटवार हल्का–रास– द्वितीय, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज. में खसरा संख्या 2242/6 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 2245 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2246 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 2247 रकबा 19–17 बीघा, खसरा नंबर 2248 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2249 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 2251 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2252 रकबा 06 बीघा, ख़सरा नंबर 2253 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज गलत प्रविष्टि **"नसीबा पुत्र चिमना"** के स्थान पर सही प्रविष्टि **"करीम पुत्र चिमना"** दुरस्त किए जानें की घोषणा की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/01/2020 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	05–00	मिजानः–	00–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.04 10:47:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: